



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7960/2026

Virendra Solanki S/o Shri Om Prakash Solanki, Aged About 19 Years, R/o 46, Bhawani Nagar, Shobhavato Ki Dhani, Jodhpur P.s.chopasni Housing Board, Jodhpur Raj. (Petitioner Is In Judicial Custody, 29.05 .2026, At Central Jail Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kuldeep Purohit
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

02/07/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना शास्त्रीनगर जिला जोधपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 91/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 109(1), 118(1) व 3(5) बी.एन.एस. के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी-अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। इस मामले में सहअभियुक्त विष्णु की जमानत सेशन न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2026 को ली जा चुकी है और प्रार्थी-अभियुक्त का मामला सहअभियुक्त विष्णु के समान है। चाकू से चोट मारने का आरोप कुनाल पर है जो इस मामले में मुख्य अभियुक्त है। इस मामले में अनुसंधान पूर्ण होकर नतीजा आने बाद नतीजा विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। आहत के धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयानों पर विचार किया गया। मुख्य रूप से कुनाल द्वारा चाकू से ताबड़तोड़ वार करने का आरोप लगाया गया है। सहअभियुक्त



विष्णु की जमानत विद्वान सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर द्वारा ली जा चुकी है एवं प्रार्थी-अभियुक्त का मामला विष्णु के समान है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **वीरेन्द्र सोलंकी पुत्र ओमप्रकाश सोलंकी** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

27-mayank/-